**XVII- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए ;सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया**

सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर आवेदन देना होगा।

- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगरपालिका कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है।
- प्रार्थना पत्र के साथ दस रूपये की फीस नकद/बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से देनी होगी।
- सूचना 30 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी।
- प्रतिलिपि के साधारणतया दो रूपये प्रति पृष्ठ लिया जावेगा।
- आवेदन हेतु प्रारूप संलग्न है।

**प्रथम अपील**

- यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिवस में सूचना नहीं देता अथवा अधूरी सूचना देता है तो प्रथम अपीलाधिकारी स्तर पर अपील की जा सकती है।
- प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश की तिथि से तीस दिवस में या फिर कोई सूचना न देने पर की जानी चाहिये।
- अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिये।

**द्वितीय अपील**

- प्रथम अपीलादेश से असंतुष्ट होने पर या तीस दिन में निर्णय नहीं होने पर अपीलादेश की तिथि से 90 दिवस में द्वितीय अपील मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है।
- अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिये।

**सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप**

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

प्रेषिति,

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

1. आवेदक का पूरा नाम ....................................................................................
2. पता :– ....................................................................................

....................................................................................

3. सूचना की विशिष्टियाँ

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना संबंधित है :– ............................................

सूचना की प्रकृति :– ....................................................................................